



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम,सहारनपुर।

पत्रांक 6984 क्षे०प्र०/स०पुर/सं०परि०भर्ती/मु०प्र०4868-19.09.2019 दिनांक:- 20.09.2019

—:कार्यालय ज्ञाप:-

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सहारनपुर क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त डिपोज में बस संचालन हेतु संविदा परिचालकों को आबद्ध किया जाना है। संविदा परिचालकों की रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

रिक्तियों का विवरण:-

| क्षेत्र | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | सामान्य | कुल रिक्तियां | साईट खुलने का समय | साईट बन्द होने की दिनांक एवं समय |
|----------|---------------|-----------------|------------------|---------|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| सहारनपुर | 23 | 14 | 30 | 44 | 111 | 23.09.2019 10:00AM | 29.09.2019 17:00PM |

उक्त रिक्तियों के आधार पर संविदा परिचालकों हेतु निम्न विवरण अनुसार आनलाईन www.upsrtc.com पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्तियों की संख्या परिवहन निगम मुख्यालय के अनुमोदन अनुसार घटायी व बढ़ायी जा सकती है:-

संविदा परिचालक पद हेतु आवश्यक अर्हता:-

1. अभ्यर्थी की आयु 01.09.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा में 05 वर्ष सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार छूट अनुमन्य होगी व भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार छूट दी जायेगी। प्रशिक्षण उपरान्त कार्य ग्रहण से पूर्व परिचालक लाईसेंस की धारिता अनिवार्य होगी। प्रशिक्षण उपरान्त चयनित अभ्यर्थी अधिकतम 02 सप्ताह में अनिवार्यतः कार्य प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
2. अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा बिन्दु संख्या 03 में उल्लिखित कम से कम एक स्रोत की योग्यता रखता हो।
3. अभ्यर्थी की अधिमानी योग्यता में निम्न स्रोतों के अनुसार क्रम संख्या 01 से 08 तक के स्रोतों से अभ्यर्थी पर कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) निगम सेवा के दौरान मृतक नियमित/संविदा कर्मचारियों के आश्रित
- (2) उ०प्र०परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी (जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो)।
- (3) भूतपूर्व सैनिक।
- (4) अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारी।
- (5) एन०सी०सी० के "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी।
- (6) इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निलिट संस्था से ए लेवल का कम्प्यूटर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हों।

क्रमशः.....2

(7) इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार में मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आई0टी0आई0 का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हों।

यदि उपरोक्त 07 स्रोतों में से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होते हैं तो स्रोत संख्या 08 से भी संविदा परिचालक आबद्ध किए जा सकते हैं:-

(8) इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निलिट संस्था से ओ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हों।

4. परिवहन निगम से सेवा से पृथक किये जा चुके या किसी कदाचार के कारण संविदा से हटाये गये कार्मिक इस आबद्धीकरण हेतु अर्ह नहीं होंगे।
5. आनलाईन आवेदन हेतु देय आवेदन शुल्क का विवरण निम्नवत है:-

| | | |
|----|--|----------|
| 1. | सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग | ₹ 200/- |
| 2. | अनुसूचित जाति/जनजाति/भूतपूर्व सैनिक | ₹ 100/- |
| 3. | उ0प्र0रा0स0परि0 निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृतक आश्रित के लिये | निःशुल्क |

6. आनलाईन आवेदन के लिये आवेदन शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है, वेरिफिकेशन के समय फीस जमा रसीद व आवेदन तथा उसके संलग्नकों की Downloaded प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. संविदा परिचालक के लिये आवेदित अभ्यर्थियों की, इण्टरमीडिएट के प्राप्त अंको के आधार पर श्रेष्ठता सूची वर्षवार अलग-अलग तैयार की जायेगी। इसी सूची के आधार पर ही क्षेत्र में रिक्तियों के अनुसार संविदा पर परिचालकों के आबद्धीकरण की कार्यवाही की जायेगी। बराबर परीक्षा प्राप्तोंक प्रतिशत पाने की दशा में जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक है उन्ही को वरिष्ठ माना जायेगा।
8. चयन के पश्चात अभ्यर्थी को वेरिफिकेशन के समय संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित एवं मूल प्रति क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहारनपुर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. आरक्षण का लाभ पाने के लिये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है एवं मूल प्रति वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करनी होगी। उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न राज्यों के मूल निवासी अनारक्षित श्रेणी में ही विचारणीय होंगे।
10. चयनित अभ्यर्थियों को क्षेत्र के किसी भी डिपो में तैनात किया जा सकता है।

क्रमशः.....3

11. चयनित अभ्यर्थियों को रू0 10,000.00 प्रतिभूति के रूप में निगम कोष में जमा कराने होंगे, यह राशि आंवटित डिपो में ही जमा होगी इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी किसी अन्य संदेश अथवा बाह्य संदेश से कदापि भ्रमित न हों। जमा प्रतिभूति न्यूनतम 11 माह से पूर्व कार्य छोड़कर जाने अथवा त्याग पत्र देने की दशा में वापसी योग्य नहीं होगी। चयनित अभ्यर्थी को एक सप्ताह का अवैतनिक प्रशिक्षण डिपो स्तर पर दिया जायेगा।
12. चयनित संविदा परिचालकों को निगम मुख्यालय द्वारा समय-समय निर्धारित दरों के अनुसार कि0मी0 के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
13. उपरोक्तानुसार ऑनलाईन आवेदनों की श्रेष्ठता सूची आवेदन दिनांक से मात्र 01 वर्ष हेतु वैध रहेगी। तदुपरान्त सूची स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(मनोज कुमार)

क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक (कार्मिक) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त)उ0प्र0 परिवहन निगम सहारनपुर।
4. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0परिवहन निगम स0पुर, मु0नगर, छु0पुर, खतौली, शामली, गंगोह डिपो को इस आशय से कि इस कार्यालय ज्ञाप को अपने बस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उ0प्र0परिवहन निगम, सहारनपुर।
6. प्रधान प्रबन्धक (आई०टी०) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
7. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० परिवहन निगम सहारनपुर।

क्षेत्रीय प्रबन्धक